No. 3436 /MS/SG/2013

दिनांकः 26 सितम्बर, 2013 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–1 के खण्ड (क) में अवश्य प्रकाशित किया जाय।

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1
संख्या–1039 / 79–वि–1–13–1(क)16 / 2013
लखनऊः दिनांकः 26 सितम्बर, 2013

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 पर दिनांक 25 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2013 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

(यहाँ पर नत्थी किया हुआ छापा जाय)

आज्ञा से,

एस0के0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

संख्या–1039 (1) / 79–वि–1–13–1(क)16 / 2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन ।
4– प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को अधिनियम की मूल प्रति के साथ।
5– प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6– सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7– महामहिम श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश।
8– निजी सचिव, सचिव, विधायी, उत्तर प्रदेश शासन को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
9– संसदीय कार्य अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
10– विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
11– भाषा अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
12– विधायी अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी ।

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन 2013)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008 की धारा 13 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 13 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, सारणी में, क्रम संख्या-3 पर दी गयी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

क्रम संख्या	शर्तें	इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि की सीमा
(1)	(2)	(3)
3	यदि क्रय किये गये माल,— (एक) विक्रय के परिणाम से भिन्न राज्य के बाहर अन्तरित या पारेषित किये जाएं; या (दो) गैर-वैट माल के सिवाय किसी कराधेय माल के विनिर्माण में प्रयोग किए जायें और ऐसे विनिर्मित माल को, विक्रय के परिणाम से भिन्न, राज्य के बाहर अन्तरित या पारेषित किया जाए;	इनपुट टैक्स की आंशिक धनराशि जो केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से अधिक है, जिस पर व्यवहारी ने रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवहारी या राज्य सरकार को कर का भुगतान किया है।

धारा 20 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) प्रत्येक व्यवहारी जिसके पास आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आवंटित स्थायी खाता संख्या हो, यथास्थिति, आवर्त और कर की प्रत्येक मासिक या त्रैमासिक विवरणी पर ऐसी संख्या का उल्लेख करेगा और इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा जब भी माँग की जाए, ऐसी संख्या को प्रस्तुत करेगा।"

धारा 21 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

"(7—क) उपधारा (4), (6) तथा (7) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल तथ्य के होते हुये भी, कमिश्नर उस वेबसाइट को विज्ञापित कर सकते हैं जिसमें उपधारा (4) में निर्दिष्ट ट्रांसपोर्ट मेमो में निहित किये जाने वाले विहित विवरण को उनके द्वारा विज्ञापित की जाने वाली किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी की वस्तुओं या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के व्यवहारियों या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के संव्यवहारों के प्रतिफलन के परिप्रेक्ष्य में प्रविष्ट किया जायेगा। यदि कमिश्नर ऐसी वेबसाइट को विज्ञापित करता है, तो पंजीकृत व्यापारी, जो कमिश्नर द्वारा यथा विज्ञापित किसी वस्तु या किसी श्रेणी की वस्तुओं का परेषण या वितरण करता है, विहित विवरण की विज्ञापित वेबसाइट में प्रविष्ट करेगा और वेबसाइट में ऐसे विवरणों के प्रविष्ट किये जाने का प्रमाण कमिश्नर द्वारा विहित रीति से ऐसी वस्तुओं के परिवहन के समय ऐसी वस्तुओं के साथ ले जाया जायेगा।"

धारा 24 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :—

"(7) कर भुगतान के लिये ऐसा दायी व्यवहारी जिसने किसी आंशिक निर्धारण वर्ष के दौरान कारोबार किया हो सहित, प्रत्येक व्यवहारी, यथास्थिति, ऐसे निर्धारण वर्ष या ऐसे आंशिक निर्धारण वर्ष के लिये, समेकित विवरणों के अनुलग्नक ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्रपत्र और रीति में, जैसा कि निर्धारित किया जाए, प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण :—इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु शब्द "समेकित विवरणों के अनुलग्नक" का तात्पर्य ऐसे अनुलग्नक से होगा जिसमें क्रय और विक्रय तथा करदेयता की गणना व्यवहारी द्वारा संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिये स्वीकार की गयी क्रय और विक्रय के विवरणों में समाहित हो तथा जिसमें व्यवहारी द्वारा उस कर निर्धारण वर्ष के लिये किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे तथा ऐसे व्यवहारी द्वारा स्वयं या उसके लिये जमा किये गये कर के विवरण एवं ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जायं समाहित हों।"

धारा 25 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 25 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :–

"(2) व्यवहारी द्वारा समेकित विवरणों के अनुलग्नक प्रस्तुत करने के पश्चात् और जहाँ व्यवहारी द्वारा ऐसे अनुलग्नक कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या बढ़ाए गये समय के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, वहाँ ऐसे समय की समाप्ति के पश्चात् किसी कर निर्धारण वर्ष की किसी कर अवधि के लिये उपधारा (1) के अधीन कर निर्धारण का कोई अनन्तिम आदेश नहीं दिया जाएगा।"

धारा 27 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 27 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात् :–

"27(1) धारा 28 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रत्येक ऐसे व्यवहारी, जिसने अंतिम कर अवधि की विवरणी तथा समेकित विवरणों के अनुलग्नक विहित प्रपत्र और रीति में दाखिल कर दी है, के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उसका स्व कर निर्धारण कर की ऐसी धनराशि तक हो चुका है जो, यथास्थिति, प्रकटित क्रय या विक्रय या दोनों के आवर्त पर स्वीकृत रूप से देय हो और इनपुट टैक्स क्रेडिट की ऐसी धनराशि तक हो चुका है जिसे ऐसे अनुलग्नकों में अनुमन्य प्रदर्शित किया गया है।

(2) इस अधिनियम और तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सभी प्रयोजनों के लिये :

(क) व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये समेकित विवरणों के अनुलग्नक को कर निर्धारण आदेश समझा जायेगा और ऐसे अनुलग्नक में प्रकटित तथ्यों या उल्लिखित अंकों को ऐसे कर निर्धारण आदेश का भाग समझा जाएगा; और

(ख) कर निर्धारण वर्ष, जिसमें समेकित विवरणों के अनुलग्नक दाखिल करने का निर्धारित दिनांक पड़ता है, के उत्तरवर्ती कर निर्धारण वर्ष के अन्तिम दिनांक को ऐसे कर निर्धारण आदेश का दिनांक समझा जाएगा।"

धारा 28 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 28 में,–

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में,–

(एक) उपखण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(एक) ऐसा व्यवहारी जिसने आवर्त और कर के समेकित विवरणों के अनुलग्नक या संशोधित समेकित विवरणों के अनुलग्नक को निर्धारित या बढ़ायी गयी अवधि के भीतर प्रस्तुत न किया हो; या ऐसे समेकित विवरणों के अनुलग्नक में दोषपूर्ण या गलत विवरण निहित है या करमुक्त अथवा कर की दर में कमी के लिये संबंधित घोषणापत्र या प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये गये हैं, या"

(दो) उपखण्ड (चार) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(चार) ऐसा व्यवहारी जिसके मामले में अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, यदि कर निर्धारण अधिकारी का यह समधान हो जाता है कि समेकित विवरणों के अनुलग्नक में व्यवहारी द्वारा प्रदर्शित देय कर की धनराशि प्रत्यय योग्य नहीं है अथवा इन अनुलग्नकों में देय कर व्यवहारी द्वारा जमा नहीं किया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट की दावाकृत धनराशि दोषपूर्ण है या देय कर की प्रदर्शित धनराशि गलत है, या"

(ख) उपधारा (3) में खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(एक) से अपेक्षा की जाएगी कि वह समेकित विवरणों के अनुलग्नक, यदि उसने ऐसे अनुलग्नक प्रस्तुत नहीं किये हैं, प्रस्तुत कर दें,"

(ग) उपधारा (11) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :–

"(11) उपधारा (9) के अधीन व्यवहारियों से समेकित विवरणों के अनुलग्नक प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और ऐसे व्यवहारियों के मामलों में, कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही उपधारा (9) के अधीन कर निर्धारण किया जा सकता है।"

धारा 40 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 40 में, उपधारा (5) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(क) ने न तो समस्त कर अवधियों के लिये आवर्त और कर की विवरणी प्रस्तुत की हो और न ही निर्धारण वर्ष, जिसमें विक्रय किया गया, के लिये समेकित विवरणों के अनुलग्नक प्रस्तुत किये हों, और"

धारा 44 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 44 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) व्यवहारी या व्यवहारियों के वर्ग द्वारा दाखिल किये गये विवरण-पत्र या विवरण-पत्रों तथा समेकित विवरणों के अनुलग्नक की सत्यता का परीक्षण करने के उद्देश्य से तथा व्यवहारी या व्यवहारियों के वर्ग द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट सहित विभिन्न दावों की स्वीकृति की सत्यता प्रमाणित करने हेतु उतनी संख्या के व्यवहारियों, जितना विहित किया जाये, की कर सम्परीक्षा की जायेगी।"

(ख) उपधारा (3) में, शब्द तथा अंक "उपधारा (1)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उपधारा (2)" रख दिये जायेंगे।

धारा 50 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 50 में,—

(क) उपधारा (1) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर उस वेबसाइट को विज्ञापित कर सकते हैं जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा पत्र में निहित किये जाने वाले विहित विवरण को उनके द्वारा विज्ञापित की जाने वाली किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी की वस्तुओं या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के व्यवहारियों या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के संव्यवहारों के प्रतिफलन के परिप्रेक्ष्य में प्रविष्ट किया जाएगा। यदि कमिश्नर ऐसी वेबसाइट को विज्ञापित करता है तो उन वस्तुओं, जिनका परिवहन किसी वाहन के द्वारा किया जाता है, का स्वामी या प्रभारी विहित विवरण को विज्ञापित वेबसाइट में प्रविष्ट करेगा और ऐसे वेबसाइट में विवरणों के प्रविष्ट किये जाने का प्रमाण कमिश्नर द्वारा विहित रीति से इस धारा के अन्तर्गत तलाशी या निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।"

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

"(3—क) उपधारा (2) या उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल तथ्य के होते हुए भी, जहाँ किसी वाहन द्वारा परिवहन की जा रही वस्तुओं का स्वामी या प्रभारी उपर्युक्त विवरणों को विज्ञापित वेबसाइट में प्रविष्ट कर देता है तथा ऐसे वेबसाइट में इस प्रकार प्रविष्ट किये जाने का प्रमाण इस धारा के अधीन तलाशी या निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष कमिश्नर द्वारा विहित रीति से प्रस्तुत कर देता है, वहाँ ऐसा अधिकारी उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अधीन ऐसे वाहन को जाने की अनुमति प्रदान कर सकता है।"

धारा 51 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 51 में,—

(क) उपधारा (1) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर उरा वेबसाइट को विज्ञापित कर सकते हैं जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणापत्र में निहित किये जाने वाले विहित विवरण को उनके द्वारा विज्ञापित की जाने वाली किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी की वस्तुओं या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के व्यवहारियों या किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के संव्यवहारों के प्रतिफलन के परिप्रेक्ष्य में प्रविष्ट किया जाएगा। यदि कमिश्नर ऐसी वेबसाइट को विज्ञापित करता है, तो उन वस्तुओं जिनका परिवहन रेल, वायुमार्ग, डाक, नदी या रज्जु मार्ग के द्वारा किया जाता है, का स्वामी या प्रभारी उपर्युक्त विवरण को विज्ञापित वेबसाइट में प्रविष्ट करेगा और ऐसे वेबसाइट में विवरणों के प्रविष्ट किए जाने का प्रमाण कमिश्नर द्वारा विहित रीति से इस धारा के अन्तर्गत तलाशी या निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।"

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

"(3–क) उपधारा (2) या उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल तथ्य के होते हुए भी, जहॉ रेल, वायुमार्ग, डाक, नदी या रज्जु मार्ग के द्वारा परिवहन की जा रही वस्तुओं का स्वामी या प्रभारी उपर्युक्त विवरणों को विज्ञापित वेबसाइट में प्रविष्ट कर देता है तथा ऐसे वेबसाइट में विवरणों के प्रविष्ट किये जाने का प्रमाण इस धारा के अधीन तलाशी या निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष कमिश्नर द्वारा विहित रीति से प्रस्तुत कर देता है वहॉ ऐसा अधिकारी उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन ऐसे वाहन को जाने की अनुमति प्रदान कर सकता है।"

नई धारा 58-क का बढ़ाया जाना

13–मूल अधिनियम में धारा 58 के उपरान्त निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

"58–क (1) कमिश्नर राज्य सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर इस अधिनियम के अधीन वाणिज्य कर प्राधिकारियों द्वारा धारा 57 के अधीन अपील या धारा 58 के अधीन पुनरीक्षण दायर करने को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ मौद्रिक सीमा नियत करने के सम्बन्ध में आदेश, अनुदेश या निर्देश इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों को निर्गत कर सकते हैं।

अपील या पुनरीक्षण दायर किये जाने की मौद्रिक सीमा

(2) जहॉ किसी वाणिज्य कर प्राधिकारी ने उपधारा (1) के अधीन निर्गत आदेशों, अनुदेशों या निर्देशों के अनुसरण में किसी कर निर्धारण वर्ष के लिये किसी निर्धारिती के मामले में किसी बिन्दु पर धारा–57 के अधीन कोई अपील या धारा–58 के अधीन पुनरीक्षण दायर नहीं किया है वहॉ यह ऐसे प्राधिकारी को उक्त बिन्दु पर धारा–57 के अधीन कोई अपील या धारा–58 के अधीन पुनरीक्षण हेतु निम्नलिखित के मामले में बाधित नहीं करेगा:–

(क) किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष हेतु उसी निर्धारिती के मामले में, या

(ख) उसी अथवा अन्य कर निर्धारण वर्ष हेतु किसी अन्य निर्धारिती के मामले में।

(3) इस तथ्य के होते हुये भी कि किसी वाणिज्य कर प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन निर्गत आदेशों या अनुदेशों या निर्देशों के अनुसरण में धारा–57 के अधीन कोई अपील या धारा–58 के अधीन पुनरीक्षण दायर नहीं किया गया है, किसी निर्धारिती, जो ऐसी धारा–57 के अधीन किसी अपील या धारा–58 के अधीन पुनरीक्षण की पार्टी है, के लिए विधिसम्मत नहीं होगा कि वह यह प्रतिवाद कर सके कि वाणिज्य कर प्राधिकारी ने धारा–57 के अधीन कोई अपील या धारा–58 के अधीन पुनरीक्षण दायर न करने के कारण निर्णय में विवादित बिन्दु को स्वीकार कर लिया है।

(4) ऐसी अपील या पुनरीक्षण की सुनवाई करने वाला अधिकरण या उच्च न्यायालय उपधारा(1) के अधीन निर्गत आदेश, अनुदेश या निर्देश तथा उन परिस्थितियों का, जिनके अन्तर्गत किसी वाद के संबंध में धारा–57 के अधीन ऐसी अपील या धारा–58 के अधीन ऐसा पुनरीक्षण दायर किया गया है अथवा दायर नहीं किया गया है, का ध्यान रखेंगे।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-5, सन् 2008) को राज्य में माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रह के लिये मूल्य सवंर्धित कर प्रणाली प्रारम्भ करने हेतु उपबंधित करने के लिये अधिनियमित किया गया है। औद्योगिक विकास विभाग ने वर्ष 2012 में प्रदेश की अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति घोषित की थी। उक्त नीति के प्रस्तर 5.2.4 एवं 3.1.4.1 उक्त अधिनियम से सम्बन्धित हैं तथा उनके क्रियान्वयन के लिये उक्त अधिनियम में उनके संशोधन की आवश्यकता है। उक्त नीति के क्रियान्वयन के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम की धारा 13, 20, 24, 25, 27, 28, 40 एवं 44 को संशोधित किया जाय। यह भी विनिश्चय किया गया कि राज्य के भीतर परिवहन मेमो के साथ माल का परिवहन एवं घोषणा प्रपत्र के साथ राज्य में माल का आयात और सुगम बनाने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 21, 50 एवं 51 को संशोधित किया जाय तथा अपील या पुनरीक्षण दायर किये जाने के लिये मौद्रिक सीमा नियत करने का प्राविधान करने के लिये नई धारा 58-क बढ़ा दी जाय।

2—उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 तदनुसार पुरःस्थापित किया जाता है।

अखिलेश यादव,
मुख्य मंत्री।